



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम,
जयपुर, मुख्यालय बनीपार्क फायर स्टेशन जयपुर

क्रमांक:- एफ.9(31-1)आ.फा./न.नि.ज/12/2331 दिनांक:- 26.11.12

प्रेषित:-

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:- अग्निशमन अस्थाई अनापत्ति पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग:- सहभागीता आवास योजना ग्राम बगरू खुर्द ख0 न: 460 जयपुर।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री संजीव कुमार सांगी पुत्र श्री रमेश चन्द सांगी निवासी 30, निर्माण नगर सोडाला जयपुर ने दिनांक 22.02.2012 को इस विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बहुमंजिला इमारत/परिसर निर्माण से पूर्व अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया। अतः आवेदक श्री संजीव कुमार सांगी सहभागीता आवास योजना ग्राम बगरू खुर्द ख0 न: 460 जयपुर में उक्त भूखण्ड में जो बहुमंजिला इमारत/परिसर का निर्माण सलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से निम्न शर्तों की पालना करने पर अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति जारी की जाती है।

1. भवन का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण/रीको/जयपुर नगर निगम/राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा स्वीकृत मानचित्रानुसार करना होगा।
2. निर्माण किये जाने वाले भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट व फायर स्टेयर केस एवम् नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
3. निर्मित किये जाने वाले बहुमंजिला भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर हाईड्रेंट मय होज व नोजल, होजरील होज, फायर एग्सटीनग्युसर, एम.सी.पी मय हुटर, फायर डिडेक्शन सिस्टम मय फायर पेनल, फायर स्प्रिंकलर, एमरजेन्सी लाईट, अण्डर ग्राउण्ड व ओवर हैड फायर पानी का टैंक मय पम्प आदि लगाना अनिवार्य होगा।

4. आवेदक को ग्यारह मंजिल 33 मीटर ऊँचाई की फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में दर्शाई गई मान्य होगी।
5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारों ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म के प्रभावित स्थान तक पहुँचने हेतु व चारों तरफ धुमने व कार्य करने के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड एवम् जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 के अनुरूप प्रर्याप्त खाली स्थान (गलीयारा) रखना होगा एवम् उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछाजन व बाल्कनी का निर्माण निषेध होगा।
6. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुँचे इसके लिये स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
7. अस्थाई अग्निशमन अभिषां के स्वीकृत नक्शों में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि सम्बन्धी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस सम्बन्ध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवाकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही इस भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड का मालिक/आवेदक व अस्थाई अनापत्ति प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
9. भवन में धुआँ निकासी के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी।
10. जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 की पालना अनिवार्य होगी।
11. यह अस्थाई अनापत्ति जारी करने की दिनांक से तीन वर्ष के लिये मान्य होगी इस अवधि में प्रत्येक छः माह में अग्निशमन अधिकारीयों द्वारा भवन में लगाये गये अग्निशमन यन्त्रों का निरीक्षण किया जावेगा व अग्निशमन यन्त्र नहीं पाये जाने पर अस्थाई अनापत्ति निरस्त की कार्यवाही की जावेगी। अनापत्ति अवधि समाप्ति पूर्व भवन में उपरोक्त वर्णित समस्त व्यवस्था कर आवेदक को स्थाई फायर अनापत्ति लेनी होगी अगर तीन वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो पुनः आवेदन कर स्थल का मौका निरीक्षण कर अनापत्ति अवधि बढ़वानी होगी व अस्थाई अनापत्ति अवधि समाप्ति पश्चात स्थाई अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अवधि समाप्ति पश्चात जमा अमानता राशि जप्त की जा सकेगी व नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत भवन को सील किया जा सकेगा व अमानता शुल्क जप्त की जा सकेगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

25/08/2023



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क जयपुर नगर निगम

क्रमांक: एफ.9()आ.फा./ज.न.नि./16-17/2013 दिनांक 9/3/17

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:- अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति की अवधि बढ़ाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित सहभागीता आवास योजना ग्राम बगरू खुर्द ख0 न: 460 जयपुर में निर्मित होने वाले भवन की पूर्व में इस विभाग के पत्रांक एफ 9 () आ.फा./न.नि.ज/12/2331 दिनांक 26.11.2012 को तीन वर्ष की अवधि के लिये अस्थाई फायर अभिषंशा जारी की गई थी। अब आपके द्वारा पुनः इस विभाग में आवेदन कर आवेदित स्थल पर निर्मित किये जाने वाले भवन की अस्थाई अभिषंशा पत्र की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन किया है।

अतः सहभागीता आवास योजना ग्राम बगरू खुर्द ख0 न: 460 जयपुर में निर्मित होने वाले भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति की अवधि दो वर्ष के लिये बढ़ाई जाती है व अन्य समस्त शर्तें पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी फायर अनापत्ति क्रमांक एफ.9 () आ.फा./ज.न.नि/12/2331 दिनांक 26.11.2012 के अनुसार ही मान्य होगी।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर
नगर निगम, जयपुर

प्रतिलिपि

1. निदेशक शिवशक्ति रियलहोम प्रा0 लि, कारपोरेट ओफिस 501, 503, डायमण्ड टॉवर पुरानी चुंगी अजमेर रोड जयपुर।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर